

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(6)नविवि / 2012 पार्ट

जयपुर, दिनांक: २१/१०/२०

संशोधित आदेश

श्री राजेश वर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक के पदस्थापन के सम्बन्ध में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.09.2020 में नतीन पदस्थापन स्थान में “वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर” के स्थान पर “निदेशक, नगर आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (पद विरुद्ध)” संशोधित कर पढ़ा जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-/-
(त्रिभुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
5. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. श्री राजेश वर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

Manoj
2/11/2021